ज्ञापांक 5793 /आपूर्ति

71–1–4–2009

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 22.12.2015

सेवा में,

सभी आरक्षी अधीक्षक (रेल सहित),
सभी समादेष्टा, बि0सै0पु0 (एम.एम.पी., आरा सहित),
प्राचार्य, सी0टी0एस0 नाथनगर,
आरक्षी अधीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना,
आरक्षी अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।

विषयः– वर्ष–2015–16 के वार्षिक लक्ष्याभ्यास की स्थिति से दिनांक–31.12.2015 तक अवगत कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष–2015–16 में हथियारवार पदाधिकारी/कर्मी द्वारा लक्ष्याभ्यास की क्या स्थिति है।

लक्ष्याभ्यास निम्नलिखित शर्तों के साथ कराकर अनुपालन भेजा जायः–

1. बिहार आरक्षी हस्तक नियम खण्ड तीन के परिशिष्ट 36 के अनुसार साधरण बल के आरक्षी को 2 वर्ष में एक बार तथा सशस्त्र बल के आरक्षी/हवलदार को प्रति वर्ष लक्ष्याभ्यास करना है।
2. बिहार आरक्षी हस्तक नियम खण्ड प्रथम के नियम 1110 के ''ख'' से ''घ'' तक में सर्विस एवं अभ्यास गोलियों की व्याख्या की गई है। जो गोलियां सील तोड़कर कर्त्तव्य हेतु विभिन्न तरह के बलों को निर्गत की जाती हैं, उन्हीं गोलियों को वापसी में अभ्यास हेतु रखा जाय तथा लक्ष्याभ्यास के बाद नई गोलियां कर्त्तव्य हेतु निर्गत की जायें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि सबसे पुरानी गोलियों को ही लक्ष्याभ्यास में व्यवहार किया जाय। इसके लिए जरूरी है कि एक साथ प्राप्त सम्पूर्ण गोलियों (Lot) के हिसाब से कोत में रखा जाय। सर्विस गोलियों का भंडारण सबसे नई गोलियों से तथा अभ्यास गोलियों का भंडारण सबसे पुरानी गोलियों से नियमानुसार कराया जाय।
3. प्रति दो या तीन वर्ष पर मुख्यालय टोली द्वारा शस्त्रों का निरीक्षण जिलों एवं वाहिनियों में किया जाता है। फिर भी बहुत ऐसे शस्त्र जो बराबर मुख्यालय से दूर रहते हैं निरीक्षण से वंचित रह जाते हैं। ध्यान रखा जाय कि कुछ निरीक्षित शस्त्रों से ही लक्ष्याभ्यास नहीं कराया जाय, बल्कि सभी लक्ष्याभ्यास करने वाले कर्मी अपने द्वरा धारित शस्त्र से ही लक्ष्याभ्यास स्थल पर उपस्थित आयुद्ध कर्मी से जांच कराने के बाद ही लक्ष्याभ्यास करेंगे। इससे इन शस्त्रों की कारगरता की जांच भी स्वतः हो जायेगी। लक्ष्याभ्यास के बाद इन शस्त्रों की सफाई सात दिन तक लगातार गर्म पानी डालकर नियमानुसार कराने के बाद ही इन्हें कोत में रखा जाय या कर्त्तव्य हेतु निर्गत किया जाय। ऐसा देखा जाता है कि एक ही शस्त्र से बिना सफाई किये कई व्यक्ति लक्ष्याभ्यास करते हैं, इससे शस्त्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बट पदाधिकारी ध्यान रखेगें कि एक व्यक्ति द्वारा खास शस्त्र से लक्ष्याभ्यास करने के बाद यदि दूसरे व्यक्ति को उसी से लक्ष्याभ्यास करना पड़े तो शस्त्र को 5–6 बार पुल थ्रू से ठीक से साफ कर लें।
4. लक्ष्याभ्यास चरणबद्ध तरीके से कराया जाय ताकि विधि–व्यवस्था के संधारण पर प्रतिकुल प्रभाव न पड़ें। ध्यान रखा जाय कि वित्तीय वर्ष–2015–16 हेतु माह मार्च 2016 तक लक्ष्याभ्यास का काम पूर्णतः समाप्त करा लिया जाय।
5. लक्ष्याभ्यास हेतु निम्न मापदण्ड प्रत्येक पंक्ति के जवानों/ओहदेदारों के लिए निर्धारित किया जाता है। किन्तु विभिन्न प्रकार के गोलियो की उपलब्धता को देखते हुए स्वविवेक से लक्ष्याभ्यास करायेंगे।

(क) जिला के साधारण बल के आरक्षी–20 (बीस) चक्र .303 रायफल से

(ख) जिला/रेल जिला बल के सशस्त्र आरक्षी/हवलदार 20 (बीस) चक्र SLR/Insas रायफल से

(ग) जिला/रेल जिला बल के सशस्त्र बल के कारवाईन में प्रशिक्षित हवलदार धारित हथियार के अनुसार .303 रायफल या कार्रवाईन/स्टेन से 20 चक्र 9 एम0एम0 की गोली से लक्ष्याभ्यास करेंगे।

(घ) स0अ0नि0 एवं इससे ऊपर के पदाधिकारी के अतिरिक्त सुरक्षा ड्यूटी में तैनात हव0 एवं आरक्षी भी रिवाल्वर या पिस्टल 9 एम0एम0 (किसी एक से) जो उनको निर्गत है, से 20 (बीस) चक्र लक्ष्याभ्यास करेंगे।

(ड़) बि0सै0पु0 के जवान 20 (बीस) चक्र 7.62 एम0एम0, एस0एल0आर0 से एवं हवलदार 20 (बीस) चक्र 9 एम0एम0 कारवाईन से लक्ष्याभ्यास करेंगे।

(च) बि0सै0पु0 के सभी पदाधिकारी रिवाल्वर या 9 एम0एम0 पिस्टल (किसी एक से) जिसके वे धारक हों 20 (बीस) चक्र लक्ष्याभ्यास करेंगे।

(छ) जिन जिलों तथा बि0सै0पु0 की वाहिनियों को ए0के0–47 निर्गत किया गया है, वे ए0के0–47 की निर्गत संख्या के दुगुने संख्या में चुने हुए ए0के0–47 में प्रशिक्षित जवानों द्वारा प्रत्येक से 20 चक्र लक्ष्याभ्यास करायेंगे। दस चक्र रीपीट तथा दस चक्र ब्रस्ट फायर करायेंगे।

(ज) बि0सै0पु0 में उपलब्ध एल0एम0जी0 के चारगुणा संख्या में चुने हुए जवानों का लक्ष्याभ्यास प्रत्येक से 20 (बीस) चक्र .303, 5.56 या 7.62 एम0एम0 की गोली से कराया जायेगा।

लक्ष्याभ्यास अविलम्ब पूर्ण करायें। अबतक आपके जिला/इकाई में हथियारवार पदाधिकारी/कर्मी द्वारा लक्ष्याभ्यास के अद्यतन स्थिति से पुलिस मुख्यालय को दिनांक–31.12.2015 तक अनुपालन प्रतिवेदन भेजना करें।

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)
बिहार, पटना।

प्रतिलिपिः–

1. सभी प्रक्षेत्रीय अपर महानिदेशक/अपर आरक्षी महानिदेशक (प्रशिक्षण), बिहार, पटना/प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक, दरभंगा को सूचनार्थ।
2. आरक्षी महानिरीक्षक, सै0पु0, बिहार, पटना/विशेष शाखा/अपराध अनुसंधान विभाग/रेलवे को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी क्षेत्रीय/मंडलीय उ0म0नि0 को सूचनार्थ।
4. आरक्षी उपाधीक्षक, केन्द्रीय आयुद्ध कर्मशाला पटना/परिचारी प्रवर केन्द्रीय आयुद्ध भण्डार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।

अपर पुलिस महानिदेशक (मुख्यालय)
बिहार, पटना।